न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी(राजस्व), संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 603/2022

वाद अ. धारा 88, 53 आर.टी.ए.

1. बनवारीलाल पुत्र श्री मघाराम जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. ओमप्रकाश पुत्र श्री मघाराम जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. अमरजीत पुत्र श्री मघाराम जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादीगण

बनाम्

1. मघाराम पुत्र श्री बस्तीराम जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

उपस्थिति :–

वादीगण की ओर से :– श्री महावीर बेरड़, एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से :– श्री कुलदीप मुण्ड, एडवोकेट

निर्णय दिनांक :–

वादीगण बनवारीलाल वगैरा ने प्रतिवादीगण मघाराम वगैरा के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं खाता विभाजन का इस न्यायालय में पेश किया कि यह कि प्रतिवादी सं. 1 वादीगण का पिता है जो कि एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। वादीगण के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 4 पी.टी.पी. जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 के खाता सं. 59/41 में 3.036 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के खाता की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति सलंग्न वाद पत्र है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि विरासतन हैं तथा वादीगण के दादा से विरासतन तौर पर प्रतिवादी सं. 1 को प्राप्त हुई हैं, में वादीगण का जन्म से हित एवं स्वत्व(By birth Right) निहित है परन्तू उक्त समस्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं.1 के नाम से ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

लगातार ––2

के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त कृषि भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया जिसमें प्रतिवादी सं. 1 ने उक्त विरासतन कृषि भूमि में अपने समस्त हक व हिस्सा का परित्याग मौखिक रूप से वादीगण के पक्ष में बंटवारानुसार कर दिया। क्योकि प्रतिवादी सं. 1 के पास अपना जीवनयापन करने के लिये पर्याप्त संसाधन है। जिसका अब उक्त कृषि भूमि में कोई हित व स्वत्व निहित नही रहा हैं। वादीगण को घरू तौर पर बंटवारा एवं विभाजन में प्राप्त विरासतन कृषि भूमि का वर्णन निम्न प्रकार से है हैं :-

(क) **वादी सं. 1 बनवारीलाल पुत्र श्री मघाराम जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि :-**

चक 4 पी.टी.पी. जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 खाता सं. 59/41

प.नं.	**मु.नं.**	**कि.नं.**
142/137	21	6,7/0.253 है.प्र.
143/137	20	11,20/0.253 है.प्र.
		कुल 1.012 है. कृषि भूमि

(ख) **वादी सं. 2 ओमप्रकाश पुत्र श्री मघाराम जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि :-**

चक 4 पी.टी.पी. जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 खाता सं. 59/41

प.नं.	**मु.नं.**	**कि.नं.**
142/137	21	2/1/0.228 है., 2/2/0.025 है.,
		3/1/0.228 है., 3/2/0.025 है.,
		4/1/0.228 है., 4/2/0.025 है.,
		5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है.,
		कुल 1.012 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(ग) **वादी सं. 3 अमरजीत पुत्र श्री मघाराम जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि :-**

चक 4 पी.टी.पी. जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 खाता सं. 59/41

प.नं.	**मु.नं.**	**कि.नं.**
142/137	21	1/1/0.228 है., 1/2/0.025 है.,

लगातार --3

8,9,10/0.253 है.प्र.

कुल 1.012 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

यह कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 को विरासतन तौर पर प्राप्त समस्त कृषि भूमि जिसका वर्णन वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित किया गया है। वाद पत्र की चरण सं. 4(क) के अनुसार वादीगण खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवा उक्तानुसार ही खाता विभाजन करवा रकमराज अलग करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादीगण का जन्म से हित एवं स्वत्व निहित है। वादीगण ने वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादीगण खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवा उक्तानुसार ही खाता विभाजन करवा रकमराज अलग करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे, आखिर गत् सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 द्वारा राजीनामा पेश किया गया जो कि बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया एवं प्रतिवादी सं. 2 का जवाब स्टेट पेश हुआ। जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र के समर्थन में वादी के द्वारा तहसील संगरिया के चक 4 पी.टी.पी. जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 के खाता सं. 59/41 की प्रति पेश की गई जो प्रदर्श–1 है। साक्ष्य वादीगण में वादी सं. 1 का शपथ पत्र अ. धारा 18 नियम 4 व्य.प्र.सं. पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादीगण के अभिभाषक ने कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 संयुक्त परिवार के सदस्य है तथा आपस में कोई विरोध नही है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया। वाद पत्र में घोषणा एवं खाता विभाजन का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादी ने राजीनामा अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने पर सहमति दी। वकील वादीगण ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नही किया।

वाद पत्र में वर्णित आराजी वादीगण के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 4 पी.टी.पी. जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 के

लगातार ––4

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

खाता सं. 59/41 में 3.036 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। विरासतन साक्ष्य के तौर पर चक 4 पी.टी.पी. जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 के खाता सं. 59/41 की जमाबन्दी एवं ईन्तकाल की चित्रप्रति पेश की। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत होने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1एक ही परिवार के सदस्य है। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र मुताबिक राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। राजीनामा निर्णय का जुज रहेगा।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष अनुसार डिक्री किया जाता है कि :–

(क) वादी सं. 1 बनवारीलाल पुत्र श्री मघाराम जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि :–

चक 4 पी.टी.पी. जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 खाता सं. 59/41

प.नं.	**मु.नं.**	**कि.नं.**
142/137	21	6,7/0.253 है.प्र.
143/137	20	11,20/0.253 है.प्र.
		कुल 1.012 है. कृषि भूमि

(ख) वादी सं. 2 ओमप्रकाश पुत्र श्री मघाराम जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि :–

चक 4 पी.टी.पी. जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 खाता सं. 59/41

प.नं.	**मु.नं.**	**कि.नं.**
142/137	21	2/1/0.228 है., 2/2/0.025 है.,
		3/1/0.228 है., 3/2/0.025 है.,
		4/1/0.228 है., 4/2/0.025 है.,
		5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है.,
		कुल 1.012 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(ग) वादी सं. 3 अमरजीत पुत्र श्री मघाराम जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि :–

चक 4 पी.टी.पी. जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 खाता सं. 59/41

प.नं.	**मु.नं.**	**कि.नं.**

लगातार ––5

142/137	21	1/1/0.228 है., 1/2/0.025 है., 8,9,10/0.253 है.प्र. कुल 1.012 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

मुताबिक बंटवारा वादीगण को उपरोक्तानुसार खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जाता है।

नोटः– यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 06.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रमेश देव)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया

पीठासीन अधिकारीः– रमेश देव(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 603/2022

---

1. बनवारीलाल पुत्र श्री मघाराम जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. ओमप्रकाश पुत्र श्री मघाराम जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. अमरजीत पुत्र श्री मघाराम जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादीगण

बनाम्

1. मघाराम पुत्र श्री बस्तीराम जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>वाद पत्र अ. धारा 88, 53 आर.टी.ए.</u>

दिनांक :– 06.02.2023

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ **रमेश देव(आर.ए.एस.)** के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी **श्री महावीर बेरड़** वकील वादीगण मिन जामिन मुदई **श्री कुलदीप मुण्ड** वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 3 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता हैं व यह डिक्री दी जाती है किः–

(क) वादी सं. 1 बनवारीलाल पुत्र श्री मघाराम जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि :–

चक 4 पी.टी.पी. जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 खाता सं. 59/41

प.नं.	**मु.नं.**	**कि.नं.**
142/137	21	6,7/0.253 है.प्र.
143/137	20	11,20/0.253 है.प्र.
		कुल 1.012 है. कृषि भूमि

(ख) वादी सं. 2 ओमप्रकाश पुत्र श्री मघाराम जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि :–

चक 4 पी.टी.पी. जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 खाता सं. 59/41

प.नं.	**मु.नं.**	**कि.नं.**
142/137	21	2/1/0.228 है., 2/2/0.025 है.,

लगातार ––2

3/1/0.228 है., 3/2/0.025 है.,
4/1/0.228 है., 4/2/0.025 है.,
5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है.,
कुल 1.012 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(ग) वादी सं. 3 अमरजीत पुत्र श्री मघाराम जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि :–

चक 4 पी.टी.पी. जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 खाता सं. 59/41

प.नं.	**मु.नं.**	**कि.नं.**
142/137	21	1/1/0.228 है., 1/2/0.025 है.,
		8,9,10/0.253 है.प्र.
		कुल 1.012 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

मुताबिक बंटवारा वादीगण को वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे।

नोट :– यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

निज .....×...... निल ......×..... मुब्लिक ....×......निल ....×..... बाबत् ....×....निल. ......100/–..... खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ......×.....को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज **दिनांक 06.02.2023** को जारी किया जाता है।

(रमेश देव)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official